RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : MISC/CPM/01/KPHO/2019-21
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

अगस्त-2020 | वर्ष - 12 | अंक : 7 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (इं. जल संस्थान), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल :
पुष्पेन्द्र गौतम हिन्दुस्तानी, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य :
दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001,
मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-नवीन मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0005307

परिशिष्ट - 5 वेदों की निभ्रन्तिता

हिन्दुओं से यह आशा की जाती है कि वे प्रतिदिन वेद पाठ करें। शतपथ ब्राह्मण में इसके कारण बताए गए हैं। उसका कहना है :

''केवल ये पांच महा त्याग हैं जिनका अत्यधिक महत्व है जैसे, जीव जन्तुओं को दाना आदि चुगाना, मनुष्यों के दान, पिता की सेवा, भगवत् पूजा और वेद पाठ (ब्रह्म यज्ञ) 2. जीवित प्राणियों को प्रतिदिन दाना पानी दें। उनके प्रति इतना ही कर्तव्य है। किसी को कुछ न कुछ दान प्रतिदिन दें। चाहे कटोरी भर पानी ही पिलाएं, मान के प्रति दान-दक्षिणा का कर्तव्य पूरा हो जाता है। ईश्वर की पूजा में भी प्रतिदिन भागीदार बनना चाहिए। यहां तक कि लकड़ी का गट्ठा चढाकर भी। यह ईश्वर की भक्ति पूर्ण हुई। 3. अब है वेदों के प्रति कर्तव्य। इसका अर्थ है उनका एकांत पाठ। इस कार्य में वाणी जुहू है, आत्मा उपभृत है, नेत्र ध्रुव हैं और बुद्धि श्रुव है। सत्य अर्पण है और स्वर्ग-लक्ष्यसिद्धि। जो इसे जानकर प्रतिदिन वेद-पाठ करता है, वह अविकारी लोक में जाता है। वह विद्यमान से तीन गुना बड़ा लोक है। उस लोक में सम्पदा का साम्राज्य है। इसलिए वेदों का अध्ययन किया जाए। 4. ऋग्वेद की ऋचाएं भगवान के लिए दूध का अर्ध्य है। जो इसे जानता है वह प्रतिदिन वेद पाठ करता है। प्रतिदिन भगवान को दुग्ध अर्पण से संतुष्ट करता है और देवता संतुष्ट होकर उसे धनधान्य से सम्पन्न, स्वास्थ्य, पौरुष तथा दैहिक शक्ति प्रदान करते हैं। उन्हें विलक्षण वरदान देते हैं। पिता की सेवा से घी और शहद की नदियां बहती है। 5. ईश्वर के लिए यजुस मंत्रों का पाठ घी की आहुति है। जो इसे जानता है, जो इनका नित्य पाठ करता है, वह देवताओं को घी की आहुति से प्रसन्न करता है और वे संतुष्ट होकर, उसे संतुष्ट करते हैं (पूर्वोक्त की भांति)। 6. सामवेद के मंत्र देवताओं को सोम का तर्पण है। जो यह जानता है, वह प्रतिदिन इनका पाठ करता है। देवताओं को सोम का तर्पण करता है और वे संतुष्ट होकर आदि (पूर्वाक्तानुसार) 7. अथर्वन और आंगिरस (अथर्वगिरस) के मंत्र देवताओं को वसा का अपर्ण करते हैं। जो इसे जानता है, वह इनका नित पाठ करता है और देवताओं को वसा से संतुष्ट करता है और वे आदि (पूर्वोक्तानुसार) 8. निर्दिष्ट और वैज्ञानिक लेख, संवाद परम्पराएं, कथाएं, मंत्र और आरती देवताओं को शहद की आहुतियां हैं। जो इसे जानता है और नित्य इनका पाठ करता है, वह देवताओं को शहद की आहुति देता है और वे आदि (पूर्वोक्तानुसार) 9. इन वैदिक आहुतियों के लिए चार वषट्कार हैं, जब हवा चले, बिजली चमके, बादल गरजें, वृक्षादि गिरें तो जो व्यक्ति जानता है, यह इन्हें क्रम से पढ़ें। यह पाठ अनवरत रहना चाहिए। जो ऐसा करता है, वह एक ही बार मृत्यु को प्राप्त होता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। यदि वह तीव्रता से न भी पढ पाए, उसे देवताओं से संबद्ध अंश का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार वह अपने जीवित प्राणियों से वंचित नहीं होगा।''

9.5, 7, 1 : ''अब वैदिक साहित्य के अध्ययन का गुणगान आता है। जो अध्ययन-अध्यापन प्रिय है, ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है, किसी के अधीन नहीं होता। वह सफल मनोरथ होता है। उसे सुखद निद्रा आती है, वह अपना वैद्य स्वयं है। अपने मन पर नियंत्रण रखता है, उसका चित्त स्थिर रहता है, यश और बुद्धि बढ़ती है, मानवजाति को शिक्षित करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार शिक्षित पुरुष ब्राह्मण है। वह चार अधिकारों का पात्र है। आदर, दक्षिणा, दमन मुक्ति और वध के भय से मुक्ति। 2. दोनों लोकों में जो श्रेष्ठ जाने जाते हैं, उसमें वेदों का अध्ययन करते रहना चाहिए। 3. जब कोई व्यक्ति वैदिक मंत्रों का अध्ययन करता है, वह सम्पूर्ण यज्ञ करता है अर्थात जो भी उसे जाने वैसे अध्ययन करे आदि आदि। 4 और ऐसा व्यक्ति भी जो उबटन से सुगंधित हो, रत्नाभूषित हो, भोजन में तृप्त हो और सुख शैल पर आसीन हो, वेदों का अध्ययन करता है तो वह सर्वांग तप करता है, यह जानते हुए अध्ययन करता है उसे आदि। 5. ऋग्वेद की ऋचाएं मधु है, सामवेद की घी, यजुस की अमृत, जब कोई वाको-वाक्य पढ़ता है या पौराणिक आख्यान पढ़ता है तो वे दोनों उबले दूध और पके मांस की आहूतियों के समान है। 6. जो यह जानकर नित्यप्रति ऋग्वेद के मंत्र पढ़ता है, वह देवताओं को मधु से संतुष्ट करता है और वे प्रसन्न होकर उसके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। 7. और जो यह जानकर नित्य साम मंत्र पढ़ता है, वह देवताओं को घी से संतुष्ट करता है और वे संतुष्ट होकर (यथोपरि) 8. जो यह जानकर नित्य यजुस मंत्र पढ़ता है, वह देवताओं को अमृत से संतुष्ट करता है और (यथोपरि) 9. जो यह जानकर नित्य वाकोवाक्य प्राचीन कथाओं का अध्ययन करता है, वह देवताओं को दूध और मांस की आहुतियों से संतुष्ट करता है और वे (यथोपरि) 10. पानी बहता है, सूर्य और चन्द्रमा घूमते हैं, नक्षत्र घूमते हैं। यदि किसी दिन ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं करता, वह दिन उसके लिए ऐसा ही है जैसे घूमने वाले ये तत्व स्थिर हो जाएं। इसलिए यह अध्ययन आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब ऋग्वेद, सामवेद अथवा यजुस की आहुति दे रहा हो अथवा किसी गाथा या काव्य का पाठ कर रहा हो तो इस बीच उसे टोका न जाए।''

मनु जो शतपथ ब्राह्मण की पुष्टि करते हैं, कहते हैं:

वेद पितरों की देवताओं की और पुरुषों की दिव्य आंखें हैं, ये मानव की शक्ति और समझ के बाहर है यह निष्कर्ष है, जो परम्पराएं वेद विहीन हैं और सभी विधर्मी मत परलोक में वृथा हैं क्योंकि उनका आधार ही अंधकार है। वेदों की परिधि के अतिरिक्त अन्य ग्रंथ उभरते हैं और नष्ट हो जाते हैं। सभी निर्मूल्य हैं और झूठे हैं। चार वर्ण, तीन लोक, चार आश्रम जैसे थे, वैसे हैं और आगे वैसे ही रहेंगे। ये वेद वर्णित हैं। जिन पदार्थों में स्पर्श, स्वाद, ध्वनि, रूप और गंध है, इन सबका ज्ञान वेदों में है। उनकी उत्पत्ति गुण, लक्षण और कर्म भी हैं। शाश्वत वेद चराचर के रक्षक हैं। इसलिए मेरे विचार में वह इस जगत, मानव सेवा के निर्देश, राजसी अधिकार, न्याय प्रक्रिया, और विश्व-सत्ता का मुख्य तत्व हैं, बस वही सुपात्र है, जो वेदों को जानता है। जैसे शक्ति पाकर अग्नि हरे वृक्षों तक को जला देती है इसी प्रकार वेद-ज्ञाता अपनी आत्मा के दोषों को पचा लेता है, जो उसके कार्यों से जन्में हों। जो वेदों का मूल तत्व जानता है, वह जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों न हो, ब्रह्मलीन होने को अग्रसर है, इहलोक में भी उसके लिए यह संभव है।

फिर भी, मनु को संतोष नहीं है। वह और आगे बढ़ जाते हैं और नए सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं -

श्रुति का अर्थ है - वेद, स्मृति का अर्थ है- विधान, उनके विषय को किसी तर्क से चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि इनसे कर्त्तव्य-बोध होता है। जो ब्राह्मण बौद्धिक लेखों पर विश्वास रखते हैं, वे ज्ञान के इन दो प्राथमिक स्त्रोतों की अवमानना करते हैं। गुणीजन उन्हें वेदों के प्रति संशयवादी और विद्रोही जानकर उनका बहिष्कार कर दें। .... . 13. जो कर्त्तव्य ज्ञान चाहते हैं, उसके लिए श्रुति सर्वश्रेष्ठ स्त्रोत है।''

साभार :
बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, खण्ड-8, पेज नं० 189 से 193 तक
डॉ. बी आर. अम्बेडकर

अलग-थलग स्थिति की समस्या

अस्पृश्यों का आंदोलन क्यों सफल नहीं हुआ है? क्या उनके कोई समर्थक नहीं हैं? यदि हैं, तो वे अस्पृश्यों की सहायता और उनसे सहयोग समझना भी आवश्यक है। इस सवाल का जवाब देने के पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हिंदू समाज का गठन क्या है और उसमें कौन–कौन से वर्ग शामिल हैं?

हिंदू समाज का ढांचा जटिल है और जिस किसी का जीवन इसके ताने–बाने से जुड़ा नहीं है, उसके लिए इसकी बनावट समझ पाना कठिन है। हो सकता है कि इसे एक रेखाचित्र की सहायता से समझने में कुछ आसानी हो। इसलिए यहां नीचे मैं एक रेखाचित्र दे रहा हूं। मेरा विचार है कि इससे हिंदुओं के सामाजिक ढांचे को समझने में सुविधा होगी :

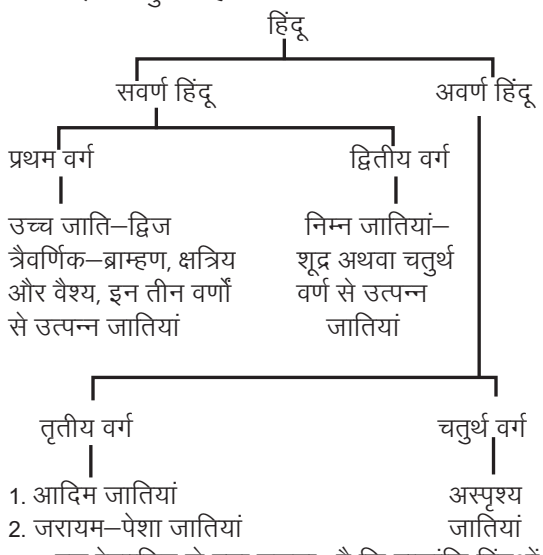

इस रेखाचित्र से पता चलता है कि हालांकि हिंदुओं की अनगिनत जातियां हैं, पर उन्हें चार वर्गों से समेटा जा सकता है। इन चार वर्गो में से प्रथम वर्ग शासक वर्ग है और द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ग शासित लोगों के वर्ग हैं।

अब हम इस बात पर विचार करें कि इन वर्गों में से कौन से अस्पृश्यों के सहज मित्र हो सकते हैं।

हिंदू समाज के विशेषाधिकार वाले लोग प्रथम वर्ग में आते हैं। उन्होंने ही हिंदू समाज–व्यवस्था की रचना की। केवल उन्हीं को इस व्यवस्था से लाभ होता है और इस वर्ग के लोगों का लक्ष्य इस व्यवस्था की रक्षा करना है। दो मित्र और दो संगी–साथी सामुदायिक हित या वैचारिक सामीप्य के कारण एक–दूसरे से असहमत नहीं हो सकते।

जरायम–पेशा और आदिम जातियों की क्या स्थिति है? उनके पास हिंदू समाज–व्यवस्था को उलट देने का सबसे अधिक सशक्त कारण है।

शूद्रों की क्या स्थिति है?

द्वितीय वर्ग यानी शूद्रों के लिए हिंदू समाज–व्यवस्था के नियम उतने ही घृणास्पद हैं, जितने कि चतुर्थ वर्ग यानी अस्पृश्यों के लिए। हिंदू समाज में, जिसकी व्यवस्था उसके नियम–निर्माता मनु ने की है, शूद्रों की स्थिति बड़ी विचित्र है। विषय को सरलता से समझा जा सके, इसके लिए अलग–अलग शीर्षकों के अधीन शूद्रों की स्थिति संबंधी नियम नीचे दिए जा रहे हैं :

ब्राम्हणों, क्षत्रियों और वैश्यों के गृह–स्वामियों से मनु कहता है :

4.61. – ''वह ऐसे देश में निवास न करें, जहां शूद्र शासक होते हों।''

शूद्रों को सम्माननीय व्यक्ति नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि मनु ने यह व्यवस्था दी है :

11.24.– ''कोई भी ब्राम्हण यज्ञ करने यानी धार्मिक प्रयोजनों के लिए कभी भी शूद्र से धन नहीं मांगेगा।''

शूद्र के साथ सभी विवाह–संबंध पूर्णतया वर्जित थे। अन्य तीन वर्णों (ब्राम्हण, क्षत्रिय, वैश्य) में से किसी भी वर्ग की स्त्री के साथ विवाह वर्जित था। कोई भी शूद्र उच्च जातियों की किसी स्त्री के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख सकता था, और यदि कोई शूद्र उसके साथ जार कर्म करता है, तो मनु के विचार में वह ऐसा अपराध करता है, जिसके लिए मृत्यु–दंड है।

8.374.– जिस किसी शूद्र ने किसी उच्च वर्ग की रक्षित या अरक्षित स्त्री के साथ संभोग किया है, उसे निम्नलिखित रीति से दंड दिया जाए, यदि वह अरक्षित थी तब उसका लिंग कटवा दिया जाए, यदि वह रक्षित थी तब उसे प्राण दंड दिया जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए।

8.20.– कोई भी ब्राम्हण जो जन्म से ब्राम्हण है, अर्थात जिसने न तो वेदों का अध्ययन किया है और न वेदों द्वारा अपेक्षित कोई कर्म किया है, वह राजा के अनुरोध पर उसके लिए धर्म का निर्वचन कर सकता है, अर्थात न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकता है, लेकिन शूद्र यह कार्य नहीं कर सकता (चाहे वह कितना ही विद्वान क्यों न हो।)

8.21.– जिस राज्य में उसका राजा दर्शक की भांति केवल देखता रहता है उसी की ही उपस्थिति में शूद्र न्याय का विचार कर सकता है, यह राज्य उसी प्रकार अधोगति को प्राप्त होता है जिस प्रकार गाय दलदल में नीचे को धंस जाती है।

8.272.– अगर कोई शूद्र उद्दंडतापूर्वक ब्राम्हण को धर्मोपदेश देने का साहस करता है, तब राजा उसके मुंह और कानों में खौलता हुआ तेल डलवाए।

विद्या और ज्ञान के अर्जन के बारे में मनु का आदेश है:

3.156.– जो कोई शूद्र शिष्यों को शिक्षा देता है और जिसका गुरू कोई शूद्र है, वह श्राद्ध में निमंत्रित होने के अयोग्य हो जाता है।

4.99.– उसे शूद्र की उपस्थिति में वेदों का कभी भी अध्ययन नहीं करना चाहिए।

वेदाध्ययन करने पर शूद्र को कितना कठोर दंड दिया जाए, इस बारे में मनु के उत्तराधिकरी भी उसे मात कर गए। जैसे कि, कात्यायन का कहना है कि शूद्र कहीं से भी वेद को सुन ले या वह वेद के एक शब्द के भी उच्चारण करने का साहस कर दे, तब राजा को चाहिए कि वह उसकी जीभ को चिरवा दें और उसके कानों में पिघला सीसा डलवा दे।

संपत्ति के बारे में शूद्र के लिए मनु की व्यवस्था है :

10.129.– किसी भी शूद्र को संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए, चाहे वह इसके लिए कितना ही समर्थ क्यों न हो, क्योंकि जो शूद्र धन संग्रह कर लेता है, उसे उसका मद हो जाता है और वह अपने उद्धत या उपेक्षापूर्ण व्यवहार से ब्राम्हणों को कष्ट पहुचाता है।

8.417.– यदि किसी ब्राम्हण का जीवन संकटग्रस्त हो, तो वह एक निसंकोच शूद्र के धन को अधिग्रहित कर ले।

1.91.– ब्रह्मा ने शूद्र के लिए एक ही कर्तव्य निर्धारित किया है कि वह विनम्रतापूर्वक इन तीन जातियों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे।

10.21.– यदि कोई शूद्र (ब्राह्मण की सेवा के द्वारा) अपना जीवन–निर्वाह करने में असमर्थ है और जीवन–निर्वाह का साधन चाहता है, तब वह किसी धनी वैश्य की भी सेवा कर अपना जीवन–निर्वाह करे।

10.122.– लेकिन शूद्र ब्राह्मणों की सेवा करे चाहे स्वर्ग के लिए हो चाहे दोनों उद्देश्यों के लिए (अर्थात इस जीवन और इससे अगले जन्म के लिए) हो क्योंकि वह जो ब्राह्मण का सेवक कहा जाता है, अपने सभी उद्देयों को प्राप्त कर लेता हैं

10.123.– ब्राह्मणों की सेवा करना शूद्र के लिए एकमात्र उत्तम कर्म कहा गया है, क्योंकि इसके अतिरिक्त वह जो कुछ करता है, उसका इसे कुछ फल नहीं मिलता।

शूद्र द्वारा सेवा को मनु एक करार मनता है। यदि कोई शूद्र सेवा से इंकार करता है तो सेवा करने के लिए मजदूर किए जाने की भी व्यवस्था है। यह व्यवस्था इस प्रकार है :

8.413.– ब्राह्मण शूद्र को चाहे तो खरीद कर या खरीदे बिना भी सेवा करने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म ने शूद्रों की सृष्टि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए की है।

10.124.– उनको चाहिए कि वे उसकी योग्यता, उसके परिश्रम और यह ध्यान में रखकर कि उसे कितने आश्रितों का पालन–पोषण करना है, अपने परिवार (की संपत्ति में से) उसके लिए उचित अंश जीवन–निर्वाह के लिए नियत करें।

10.125.– उसके लिए बचा हुआ भोजन और पुराने खाट–बर्तन आदि दिए जाएं।

मनु की अपेक्षा है कि अन्य सवर्णों के प्रति शूद्र को वाणी और व्यवहार से विनीत होना चाहिए।

8.270.– जो शूद्र व्यक्ति द्विज को दारूण वचन कह उसकी अवमानना करता है, उसकी जीभ कटवा देनी चाहिए क्योंकि वह नीच कुलोद्भपव है।

8.271.– यदि वह द्विज का नाम और उसकी जाति को उल्लेख अपमान के तौर पर करता है तब उसके मुख में दस अंगुल लंबी दहकती हुई लोहे की कील डाल दी जाए।

मनु केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं है। वह चाहता है कि शूद्र जाति के लोगों के नामों तथा उपनामों से भी शूद्र की दासता व्यक्त हो। मनु चाहता है :

2.31.– ब्राह्मण के नाम का पहला भाग ऐसा हो जो शुभ हो, क्षत्रिय का शक्ति से संबंधित, वैश्य को संपत्ति से और शूद्र को पहला नाम ऐसा हो जो तिरस्कारणीय भाव का सूचक हो।

2.32.– ब्राह्मण के नाम का दूसरा भाग ऐसा (शब्द) हो जिसमें सुख को भाव निहित हो, क्षत्रिय का ऐसा हो जिसमें रक्षा का भाव और वैश्य का ऐसा हो जिसमें समृद्धि का भाव तथा शूद्र का ऐसा हो जो सेवा–कार्य का भाव सूचित करे।

जाहिर है कि ये तीनों वर्ग (द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ) एक–दूसरें के समर्थक हैं। वे हिंदू समाज–व्यवस्था को मिटाने के लिए एकजुट हो सकते है। पर वे एकजुट नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि उन्हें एकजुट करने के लिए कोई प्रयास नही किया गया। ब्राह्मण जो हिंदु सामाजिक व्यवस्था के निर्माता हैं और जो इस व्यवस्था से सबसे अधिक लाभन्वित होने के कारण इसके प्रबलतम समर्थक हैं, उनके प्रभुत्व को नष्ट करने के लिए 1919.1935 के बीच सक्रिय गैर–ब्राह्मण पार्टी इनको एक राजनैतिक मंच पर संगठित करने की दिशा में एक प्रयास थी।

यह प्रयास इन तीनों वर्गों को संगठित करने का एकमात्र प्रयास नहीं था। एक और प्रयास मजदूर–नेता, खासकर कम्युनिस्ट नेता कर रहे है। उनका नारा है कि जाति चाहे जो भी हो, श्रमिक वर्ग के हित एक जैसे हैं उनमें वर्ग–चेतना और वर्ग–एकता लाई ही जानी चाहिए। यदि वे एक बार एकजुट हो जाए तो अपनी संख्या की भयंकर शक्ति के बल पर अर्थ–व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, और यदि एक बार अर्थ–व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, तो निश्चय ही हिंदू समाज–व्यवस्था चूर–चूर हो जाएगी। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह है कि लोग संगठित नही हुए। 'शूद्र, जरायम–पेशा और आदिम जातियों ब्राह्मणों से भी अधिक अस्पृश्ययों का विरोध करती है। सच तो यह है कि हिंदू समाज व्यवस्था पर अस्पृस्यों के आक्रमण का समना करने के लिए वस्तुतः ब्राह्मणों के लिए पुलिस की भूमिका अदा करते हैं। यह एक अजीब–सी बात है। लेकिन यह एक हकीकत है। अगर अस्पृश्य इस स्थापित व्यवस्था के नियमों और विनियमों को तोड़ने की कोशिश करते है तो उन पर जो अत्याचार किए जाते हैं और जिनका वर्णन पिछले अध्यायों में किया गया हैं, वे सबके सब शूद्रों के द्वारा किये जाते है।

संगठित न होने के कारणों को खोजना कठिन नहीं है। इसके कारण क्रमिक असमानता की व्यवस्था में मिल सकते हैं, जिसके अनुसार ब्राह्मण सबका सिरमौर बना हुआ है और 'शूद्र' ब्राह्मण के नीचे लेकिन अस्पृश्य से ऊंचे पर है। यदि हिंदू समाज–व्यवस्था का आधार सिर्फ असमानता होती तो वह कब की उखाड़कर फेंक दी गई होती । लेकिन वह तो क्रमिक असमानता पर टिकी है। जब शूद्र ब्राह्मण को गिराना चाहता है, तब उस समय वह इस बात के लिए तैयार नहीं होता है कि अस्पृश्य ऊपर उठकर उसकी बराबरी पर आ जाएं। शूद्र ब्राह्मणों द्वारा

किए गए घोर अपमान की कड़वी घूंट पीना तो पसंद करता है, पर वह समाज–व्यवस्था को एक समान स्तर पर लाने में अस्पृश्यों का साथ नहीं देता। नतीजा यह है कि अस्पृश्यों के संघर्ष में कोई उनका साथ नहीं देता। अस्पृश्य एकदम अलग–थलग हैं। वे न केवल अलग–थलग हैं, बल्कि उन्हें उन वर्गों का विरोध सहना पड़ रहा है, जिन्हें उनका समर्थक होना चाहिए था। अस्पृश्यता को मिटाने में यह अलग–थलग की स्थिति एक और बड़ी बाधा है।

I
अस्पृश्यता के कारण हालात बद से बदतर

जयपुर से एक संवाददाता ने जून 1953 की घटना को समाचार भेजा वो निम्नलिखित है :

जयपुर 25 जून : इस राज्य में गिनी वर्म नामक बीमारी फैली हुई है, जिसे यहां के लोग नारू अथवा बाल कहते है। इसके कारण रोगी को महीनों कष्ट उठाना पड़ता है। कभी–कभी तो एक दो वर्ष भी लग जाते हैं। इसके करण अनेक रोगियों के तो अंग बेकार हो जाते हैं।''

यह बीमारी पीने के पानी के माध्यम से फैलती है। इसकी रोकथाम के लिए डाक्टर केवल यही सलाह देते है, पहले पानी को उबालों, छानों और फिर उसे पीओ।

यह बीमारी बहुधा उस समय फैलती है, जब वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, जो खेतों में बुवाई का मौसम होता है। इसका नतीजा यह होता है कि जब उसे अपनी कमाई पर लगा होना चाहिए, उस समय वह चारपाई पर पड़ा होता है।

बांसवाड़ा के निकट कोपरा गांव में पूछताछ करने पर पता चला है कि 57 परिवारों में 125 रोगी नारू के शिकार हैं। छह लोगों के एक हरिजन परिवार में पांच नारू बीमारी से पीड़ित हैं। उनसे पास खाने के लिए सूखें मांस के मात्र कुछ टुकड़े थें

यह बला प्रायः समाज द्वारा ही इन लोगों पर थोपी जाती है। जिस तालाब से हरिजन पानी पीते हैं, वह इतना गंदा है कि वही नारू कीड़ों का जैसे बसेरा बन गया है। जब यह तालाब बांसवाड़ा के कलक्टर को दिखाया गया तो वह स्तब्ध रह गया और उसने तालाब को तुरंत बंद किए जाने का आदेश दिया।

इसके पास ही एक पक्का कुआं था, जहां जाकर पानी लिया जा सकता था। हिंदुओं से चिरौरी की गई थी कि वे हरिजनों को इस कुएं से पानी लेने दें, लेकिन वे राजी नहीं हुए। कलक्टर ने कहा,'यदि आपसे कहा जाए तो क्या आप इस तालाब का पानी पी लेंगे? हिंदुओं ने स्वीकार किया कि वह पानी मनुष्य के पीने लायक नहीं है, फिर भी उन्होंनं हरिजनों को पक्के कुएं को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी।

हालात खराब हैं और सबसे अधिक कष्ट हरिजन भोग रहे हैं। कानून ने अस्पृश्यता को अपराध ठहराया है। लम्बे अर्से से हरिजन सेवक संघ उसे मिटाने के लिए जी–तोड़ प्रयास कर रहा है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि देहातों में सवर्ण हिन्दुओं के मन–मस्तिष्क में कोई परिवर्तन आया है। इस संबंध में राज्य–सरकारें कुछ अधिक नहीं कर पाई है।

परिशिष्ट – II
जहां कमीज पहनना अपराध है

दक्षिण भारत में हरिजनों की व्यथा
एक सामाजिक कार्यकर्ता का अनुभव
ले.– स्वामी आनंद तीर्थ, प्रादेशिक अधिकारी,
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ
'संडे टाइम्स', 9 मार्च 1952 से

बड़ें खेद की बात है कि पांच वर्ष पूर्व नागरिक असुविधा निवारण संबंधी कानून बन जाने पर भी हमारे गांवों में हरिजनों को अब भी विभिन्न नागरिक असुविधाओं को झेलना पड़ रहा है। मदुरै जिले के मैलूर तालुका में हरिजनों की सामाजिक असुविधाओं को दूर करने के लिए पिछले नौ महीने से अखिल भारतीय हरिजन संघ जोरदार कोशिश कर रहा है। चाय की दुकानों, सैलूनों, कुओं, तालाबों, बावड़ियों आदि में हरिजनों को जिन अनेक असुविधाओं का समाना करना पड़ता है, उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। कहीं–कहीं गांवों के मुंसिफ जिनसे इस कानून को लागू करने में सहयोग की आशा की जाती है, बेचारे हरिजनों को अपने प्राथमिक अधिकारों के इस्तेमाल करने के रास्ते में प्रतिक्रियावादी ताकत बन रोड़े बन जाते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, जिनसे पता चलेगा कि हरिजनों के विरूद्ध पूर्वाग्रह ने हमारे समाज में कितनी गहरी जड़े जमा रखी हैं।

नाथम के पास पार्ली में एक हरिजन युवक ने नारियल के कुल्हड़ में चाय पीने से मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे कांच के गिलास में चाय दी जाए। इस पर एक सवर्ण हिंदू ने उसके लात मारी और उसके सिर पर जूते लगाए। बाद में इस सवर्ण को सब–मजिस्ट्रेट, मैलूर ने सजा दी, पर केवल दस रूपये का जुर्माना किया। मेलावल्वू में जब मै दो हरिजन लड़कों के साथ चाय की दुकान पर गया तो लोगों के एक समूह ने मुझे पीटने की धमकी दी और लड़कों को खदेड़ दिया। चाय की दुकान वाले ने बिना बात कांच का गिलास तोड़ दिया और उन सबने मांग की कि मैं उसकी भरपाई करूं, नहीं तो जुर्माने के रूप में मेरी ठुकाई और पिटाई की जाएगी। मैंने भागकर पास के एक प्राथमिक स्कूल में शरण ले ली। भीड़ तभी तितर–बितर हुई, जब पंचायत बोर्ड के प्रधान ने बीच–बचाव किया।

केलावल्वू में हरिजन एक गंदे तालाब से पानी लेते हैं, जिसमें लोग नहाते और अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। जब हरिजनों से सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के लिए कहा गया, तब सवर्ण हिंदूओं ने उनसे गाली–गलौच की और उन्हें डराया व धमकाया, ताकि वे सार्वजनिक तालाब से पानी लेने का साहस न कर सकें। केलावल्वू में पुलिस थाना है, पर वहां की पुलिस हरिजनों की असुविधाओं के प्रति आंखे मूंदे हुए है। अत्तुकुलम में सवर्ण हिंदू सार्वजनिक कुएं में पाखाना फेंक देते हैं, क्योंकि वे उन हरिजनों को नहीं रोक सके, जिन्होंने हमारे कहने पर वहां से पानी लिया। एत्तिमंगलम में सवर्ण हिंदुओं ने सरकारी नर्सरी में कुछ हरिजनों द्वारा उगाई गई धान की पौध को नष्ट कर दिया। इसका कारण यह था कि हरिजन इस चावड़ी के अंदर आ गए थे, जहां एक सार्वजनिक सभा हो रही थी। बेचारे हरिजनों ने शिकायत की पर पुलिस ने कोई कार्यवाई नहीं की।

तिरूवदूर में जब हमने हरिजनों से कहा कि वे सार्वजनिक तालाब से पानी ले लें तो एक सवर्ण हिंदू युवक ने एक गर्भवती हरिजन महिला से हाथापाई की और उसके घड़े को भी तोड़ दिया। पुलिस ने सवर्ण हिंदू के खिलाफ मुकदमा दायर किया और सब–मजिस्ट्रेट ने उस पर सिर्फ पंद्रह रूपये जुर्माना किया। उसके बाद से हरिजन उस सार्वजनिक तालाब से बेरोकटोक पानी ले रहे है। कोत्तागुडी में गांव के एक नाई ने हरिजन लड़के के बाल काटने से इंकार कर दिया। पुलिस ने उस पर मुकदमा चलाया और उसे सब–मजिस्ट्रेट ने सजा दी। लेकिन उसके बाद सवर्ण हिन्दुओं ने हरिजनों को चावड़ी में बुलाया और चेतावनी दी कि अगर नाई के पास गए और बाल कटवाने को कहा तो सबको जुर्माना भरना पड़ेगा।

किदारीपत्ती में हरिजनों को अनुमति नहीं है कि वे आम रास्ते से अपने शव को ले जाएं या गांव की गलियों में साइकिल पर सवार होकर निकलें। मैलूर में सब–मजिस्ट्रेट की अदालत में एक मुकदमा एक हरिजन को साइकिल की सवारी से रोकने के बाबत चल रहा है। नदिकोविलपत्ती में जो मैलूर तालुका कार्यलय से केवल तीन फलांग पर है, हरिजन एक गंदे नाले से पीने का पानी ले रहे थे, क्योंकि सार्वजनिक तालाब तक उनकी पहुंच नही हो सकती थी। इस संबंध में पुलिस में दो शिकायतें दर्ज कराई गई और अब सवर्ण हिंदुओं की हिम्मत नहीं कि वे हरिजनों को रोक सकें। थेक्किथेरू में जब हरिजन उस समय मंथै चावड़ी पर जाकर बैठ गए जब कि चावड़ी में सार्वजनिक सभा हो रही थी, उन पर पत्थर फेंके गए, परिणाम स्वरूप उन्हें डर के कारण वह स्थान छोड़ देना पड़ा।

मैलूर से कोई दो मील दूर नविनिपत्ती में कहा जाता है कि वहां के गांव के मुंसिफ ने पोंगल समारोह दिवस पर हरिजनों के अच्छे कपड़े पहनने पर एतराज किया और दो हरिजन युवकों को अपने कमीजें और ऊपरी वस्त्र उतारने के लिए कहा। उन युवकों से यह भी कहा गया कि वे कुम्बी दल (साष्टांग प्रणाम) करें और केवल लुंगी पहनकर जाएं।

मदुरै नगर से कोई दस मील दूर मंकुलम में जो अत्याचार किया, वह सबसे अधिक कष्टपूर्ण रहा। वहां ग्राम–मुंसिफ ने शत्रु जैसा व्यवहार किया। दो हरिजन युवक चाय की दुकान पर गए। उन्हें भीतर जाने से रोका गया। इस पर उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। इसके लिए उनमें से एक को बड़े–बूढ़ों के इशारे पर एक सवर्ण हिंदू ने खंभे से बांध दिया और बेरहमी से पीटा। दूसरे हरिजन बहिष्कार किया गया और उन्हें काम नहीं दिया गया। उनका दुकानदारों ने उन्हें खाने–पीने की चीजें देने से इंकार कर दिया और उन्हें दो दिन तक भूखा रखा गया। स्थिति तभी सुधरी, जब मालगुजारी के डिवीजनल अफसर ने बीच–बचाव किया।

हाल ही में दो हरिजनों तथा स्वयं मुझ पर सवर्ण हिंदुओं की एक टोली ने बर्बरतापूर्ण हमला किया। हमें उन्होंने लकड़ी के डंडों से पीटा। हमारा गुनाह बस यह था कि हमने तालाब में स्नान किया और हम चावड़ी के सामने एक कौफी–क्लब में गए थे। मदुरै के सरकारी अस्पताल में भर्ती करके हमारा इलाज किया गया। मेरी दाई टांग में फ्रैक्चर हो गया। उसके कारण मैं दाई टांग से चल भी नहीं सकता था। ग्राम–मुंसिफ समेत सोलह लोगों पर पुलिस ने दंगा करने का आरोप लगाया। लेकिन कुछ कांग्रेसजन समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार उसमें फंसे हुए है। पता चला है कि ये लोग इस संबंध में सिफारिश लेकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचे हैं। कैसी विडंबना है, कहां महात्माजी की इच्छा, 'हरिजनों को अपना सगा भाई समझो।' कहां यह स्थिति! अपना, अपना होता है; पराया पराया।

जहां तक हरिजनों के प्रति सवर्ण हिंदुओं के रवैए का संबंध है, हमारे हाथ लगती है, निरी निराशा और हताशा। कहां गया महात्माजी का महान बलिदान! उन्होंने ही हमारे लिए स्वराज का द्वार खोला। वह चाहते थे कि इन दलितों तक भी आजादी पहुंचे। राजस्व और पुलिस के अधिकारी हरिजनों की असुविधाओं को दूर करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। महात्माजी के सुपत्र मणिलाल दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की नागरिक असुविधाओं को दूर कराने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। हरिजनों को महात्माजी अपने ही जिगर का टुकड़ा समझते थे। आज उन्हें ही वैसी आजादी देने से हम कतरा रहे है। महात्माजी का गुणगान करने वाले सवर्ण हिंदुओं और कांग्रेसजनों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति तो तभी मिलेगी, जब अस्पृश्यता के इस पाप को देश के चप्पे–चप्पे से जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। सरकार को समझना चाहिए कि हमारे समाज से इस पाप को दूर करने के लिए ठोस प्रयत्न किए जाने जरूरी हैं।

परिशिष्ट . III
हरिजनों पर जबरन अत्याचार

(थुम्बापत्ती में दर्दनाक और शर्मनाक अत्याचार)
हमारे गांवों में चावड़ी न्यायालय बंद करो

चावड़ी न्यायालय

हमारे सभी जानते हैं कि हालांकि तमिलनाडु के गांवो में चावड़ियों में हरिजन प्रवेश नहीं कर सकते, फिर भी इन चावड़ियों में सवर्ण हिंदू उनके भाग्य का फैसला करते हैं और उन पर इतने कठोर अत्याचार किए जाते हैं कि वे सवर्ण हिंदुओं से हमेशा डरे–डरे से रहते हैं। हरिजनों की नागरिक असुविधाओं को दूर करने के लिए हम जो आन्दोलन छेड़ते हैं, उसमें वे क्यों हिस्सा नहीं लेते, इसका एक कारण यह भी है कि उन्हें गांव के मुखिया (पेरियमबलगर) जो सवर्ण हिंदू होता है, के नेतृत्व मे सवर्ण हिंदुओं द्वारा सताए जाने का बराबर डर बना रहता है। अनेक स्थानों पर ग्रामवासियों ने पंचायत सभा का नाम देकर अपने–अपने चावड़ी न्यायालय स्थापित कर रखे हैं। बेचारे हरिजनों को इन चावड़ियों में बुलाया जाता है और उन पर गुलामों की तरह मुकदमा चलाया जाता है। यदि उनमें से कोई पेरियमबलगर के आदेश का विरोध करता है, तो जबरा कानून शुरू हो जाता है। बेरहमी से उनकी ठुकाई व पिटाई की जाती है, ताकि उनके मन में डर बिठाया जा सके और पेरियमबलगर की निरंकुश सत्ता का लोगों में प्रदर्शन किया जा सके। इन चावड़ियों में विभिन्न प्रकार की परिस्थिति और पेरियमबलगर व उसके सभासदों की इच्छा के अनुसार हरिजनों को दंड दिया जाता है– यथा, सरेआम कोड़े लगवाना, भारी जुर्माना करना और जुर्माना न देने पर

उनकी संपत्ति जब्त कर लेना, झूठे मामले बढ़ना, रोजगर न देना और मजदूरी रोक कर आर्थिक बहिष्कार करना, सामाजिक समारोहों और धार्मिक उत्सवों में उनकी भागीदारी पर रोक लगाकर समाजिक बहिष्कार करना, तालाबों और कुओं पर उनके प्रवेश पर रोक लगाकर उन्हें पानी न लेने देना, गांवों की दुकानों में बिक्री पर रोक लगाकर उन्हें खाने–पीने की चीजें न खरीदने देना, आदि–आदि। हरिजनों का उद्धार तभी हो सकता है, जब सरकार उन ग्रामवासियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाई करे, जो ग्राम–पंचायत की आड़ में ये अवैध और अन्यायपूर्ण अदालतें चलाते हैं। पिछड़े तथा अल्पसंख्यक समुदाय पर उपयुक्त तरीकों से तरह–तरह का जैसा उत्पीड़न गांवों में वहां के लोग कर रहें हैं, उसे कोई भी सभ्य सरकार सहन नहीं कर सकती।

थुम्बापत्ती में अत्याचार

एक अगस्त 1953 को थुम्बापत्ती में हरिजनों के साथ जो व्यवहार किया गया, उसे सुनकर किसका हृदय न पसीज उठेगा। इसका विवरण इस प्रकार है। यह गांव मदुरै से 22 मील दूर स्थित है और यह स्थान तमिलनाडू में हरिजनों के एक प्रमुख नेता, संसद–सदस्य श्री पी. कक्कन का जन्म स्थान है। पता चला है कि हरिजन बस्ती के सभी वयस्कों को चावड़ी के सामने खुले मैदान में बुलाया गया। सवर्ण हिंदुओं ने प्रथा के अनुसार पेरियमबलगर और उसकी परिषद् के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद कोई एक दर्जन हरिजन युवकों को मुकदमें के लिए अलग छांट लिया गया। उन पर यह आरोप था कि लोगों को उन पर शक है कि वे गांव में चोरियां करते है। जिन युवकों ने थोड़ा–बहुत विरोध किया और सवर्ण हिन्दुओं के आगे प्रथानुसार हाथ–पैर नही जोड़े, उन्हें दंड देने के लिए अलग से चुन लिया गया। उन्हें डंडों से मारा–पीटा गया और चोरी स्वीकार करने के लिए कहा गया। अन्य हरिजनों से पूछताछ की गई और कहा जाता है कि उत्पीड़न के डर से उन्होंने सभी चोरियों की जिम्मेदारी अभियुक्तों पर थोप दी। फैसला सुनाया गया कि ये युवक दोषी है। इसके बाद विधिवत दंड देने के लिए कुछ को हथकड़िया भी पहना दी गई। पता चला है कि उनमें से एक ने फिर विरोध प्रकट किया और बच निकलने के बहाना बनाया। चावड़ी न्यायालय का अनादर करने पर गांव वाले नाराज हो गए। पता चला है कि परियमबलगर ने चावड़ी की ओर से यह निर्णय किया कि इन हरिजन युवकों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। जबरा कानून की कार्यवाही शुरू हो गई और हरिजन युवकों की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। जिन लोगों को हरिजनों से कोई शिकायत या विद्वेष था, उन सभी को बिना किसी दंड के भय के हरिजनों से गिन–गिनकर बदला लेने की खुली छूट मिल गई। जिस हरिजन युवक ने फिर भी बच निकलने की कोशिश की, उसके पैरों को पकड़ उसे पथरीली जमीन पर खूब घसीटा गया। दूसरों की डंडों से पिटाई की गई। उन्हें पेडों से बांध दिया गया और फिर इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी हड्डियां और पसलियां लगभग चूर–चूर हो गई। कोई आठ घंटे तक उन्हें पेरों से बांधकर खड़ा रखा गया, ताकि लोग उन्हें जी–भर कर देख ले। लगता है कि सभी हरिजनों को यह चेतावनी दे दी गई है कि वे हरिजन कार्यकर्ताओं से सहयोग न करें।

झूठा मामला बढ़ा गया

उसके बाद गांव वालों ने जो कुछ किया, वह और भी शर्मनाक है। आमतौर पर होता यह है कि झूठे मामले हरिजनों के मत्थें मढ़ दिए जाते हैं और तुरंत कार्यवाही करने के लिए पुलिस बुला ली जाती हैं। जब यह पता चला कि हरिजनों को गंभीर चोंटे आई हैं, तो गांव वालों को अहसास हुआ कि वे तो मुसीबत में फंस जाएंगे। पता चला है कि इसलिए संसद–सदस्य श्री पी, कक्कन के अस्सी वर्षीय पिता एवं ग्राम–प्रधान (थोट्टी) श्री पूसारी कक्कन से कहा गया कि वह यह झूठी शिकायत कर दें कि पिछली शाम को हरिजन मंदिर से कुछ चीजें गुम हो गई और ग्राम के मुंसिफ ने पुलिस में रपट दर्ज करा दी कि ये चीजें हरिजन युवकों से बरामद की गई । कहा जाता है कि श्री पुसारी कक्कन और एट्टी कक्कन नामक एक अन्य ग्राम–प्रधान ने ये चीजें लाकर ग्राम के मुंसिफ को दीं। सूचना पाते ही पुलिस तुरंत आ गई। उसने चोरी के आरोप में हरिजन युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अस्पताल भेज दिया, क्योंकि वे घायल अवस्था में पाए गए। हमारा आशय सरेआम पुलिस की आलोचना करना नहीं है। इतना कहना काफी होगा कि ग्रामवासियों ने हरिजनों पर जो जुल्म किए, वे पुलिस की सरकारी दृष्टि से ओझल रहे।

सच का पता चल ही गया

यह अच्छा हुआ कि गांव वालों ने जो कुछ किया, उसके समर्थन में एक सामूहिक याचिका तमिलनाडू हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष वैद्यनाथ अय्यर के पास भेज दी। वह याचिका जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए मेरे पास भेज दी गई । एक छोटी–सी कमेटी बनाई गई । उसमें मैलूर तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मैलूर तालुका हरिजन सेवक संघ के सचिव, मैलूर सेवा समाज के सचिव, और मुझे शामिल किया गया। हमने तदनुसार मामले की जांच की। हमने पाया कि गांव वालों ने हरिजन युवकों को बेरहमी से मारा–पीटा और उन्हें कोई आठ घंटे तक पेड़ों से बांधे रखा। उसके बाद ही पुलिस वहां पहुंची। श्री पुसारी कक्कन और पेरियमलगर की शिकायत की जांच–पड़ताल श्री वैद्यनाथ अय्यर ने की । उन्होंने श्री अय्यर के सामने स्वीकार किया कि पुलिस के पास दर्ज कराई गई शिकायत झूठी और मनगढ़ंत थी। पेरियमबलगर ने भी हरिजनों के प्रति किए गए अवैध कार्यों के लिए खेद प्रकट किया। इस बीच पुलिस ने श्री पूसारी कक्कन की शिकायत की जांच–पड़ताल की और मामले के बारे में कहा,'कुछ पता नहीं चल सका', लेकिन उसने गांव वालों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया। लगता है कि हरिजन युवकों की हड्डियां दरअसल टूटी नहीं थीं। डंडों की मार तथा रस्सियों के बंधन के निशान उनके शरीरों पर कई दिन तक दिखते रहे। उनमें से दो को दो दिन तक अस्पताल में रखा गया और उनकी टांगों का एक्सरे किया गया, ताकि निश्चय किया जा सके कि उनकी हड्डियां टूटी नहीं। उनकी टांगों पर पलस्तर बांधकर भेज दिया गया। एक पखवाड़े तक वे ठीक तरह से चल भी नहीं सके।

दो जांच–पड़ताल की गई

डिप्टी कलक्टर के आदेश पर एक जांच–पड़ताल उप–कल्याण अधिकारी, मदुरै ने की और दूसरी जांच–पड़ताल हाल ही में सरकार के आदेश से राजस्व डिवीजनल अधिकारी, मदुरै ने की। परिणाम अभी तक पता नहीं चला है।

थुम्बापत्ती में नागरिक असमानताएं

1948 में जब सार्वजनिक तालाब से हरिजनों ने पानी लिया, तो थुम्बापत्ती के ग्रामवासियों ने भयंकर विरोध किया। तब तक हरिजन एक गंदे पोखर से पानी ले रहे थे। वहां लोग स्वयं नहाते थे और पशुओं को भी नहलाते थे। कुछ हरिजन युवकों को बुरी तरह मारा–पीटा गया और हरिजनों के घरों को आग लगाने की कोशिश की गई। कहा जाता है कि इस संबंध में अधिकारियों ने ग्राम के मुंसिफ तथा अन्य लोगों को चेतावनी दी है। थुम्बापत्ती में चाय की एक दुकान में हरिजन को कांच के गिलास में कौफी नहीं दी गई। इस मामले की सूचना पुलिस को 19 अगस्त 1953 को दी गई । चाय की दुकान के मालिक को अपराधी माना गया और उस पर सब–मजिस्ट्रेट ने दस रूपये का जुर्माना किया। गांव का नाई कहता है कि वह हरिजनों की सेवा करने के लिए तैयार है। फिर भी हरिजन उसके पास नहीं जाते। संभवतः उसका कारण यह है कि सवर्ण हिंदुओं ने उन्हें गुप्त रूप से चेतावनी दी है। कुछ हरिजन 1 जुलाई 1953 को नाई के पास गए थे और इस बात पर विश्वास करने के लिए सबूत हैं कि 1 अगस्त 1953 को हरिजन युवकों के खिलाफ जो कार्यवाही की गई, वह हरिजनों में दहशत फैलाने की एक साजिश थी।

हमारा सामान्य अनुभव

आमतौर पर हमारा यह सामान्य अनुभव रहा है कि जब भी हरिजन अपने प्राथमिक अधिकारों को प्राप्त करने की कोशिश करते है। तो ग्रामवासी उन्हें चावड़ी पर बुला लेते हैं और किसी न किसी रूप में उनको धमकाते व मारते–पीटते हैं। उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं मंगुलम, कुरूवनकुलम, अडानूर, पाथियेत्तमगुडी और कारूगाकोट्आी में घटी। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने इन स्थानों का दौरा किया। कुछ स्थानों में हरिजनों को चावड़ी पर बुलाया गया और कोट्टागुडी, किदारीपट्टी और पुल्लिपट्टी की भांति चेतावनी दी गई। अधीनस्थ पुलिस अधिकारी आमतौर पर सवर्ण हिंदुओं का समर्थन करते हैं। इस प्रकार सवर्ण हिंदुओं को अपना जबरन कानून लागू करने की छूट मिल जाती है, ताकि वे हरिजनों को उनके दास होने का बोध करा सकें।

क्या हम इसे सहन कर सकते है

हमारे सामने सवाल यह है कि जब हम जलियावाला बाग में हुए डायर के अत्याचारों के विरूद्ध विद्रोह कर चुके है, तो सरेआम हरिजनों को जिस घोर अपमान और मनमानें अवैध अत्याचार का शिकार बनाया जा रहा है, क्या हम उसे सहन कर सकते हैं? जलियांवाला बाग में तो अत्याचार विदेशी नौकरशाहों ने उन नर–नारियों पर ढाए थे, जो एक सभा के लिए वहां एकत्र हुए थे। यहां उसी प्रकार के जुल्म हमारे ग्रामवासियों ने उन चंद हरिजन युवकों पर किए, जिन पर चावड़ी में मुकदमा चलाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि आम हरिजन के हृदय में आतंक का हौआ बिठा दिया जाए।

सरकार को क्या करना होगा

ग्रामों में सरकार ने ग्राम पंचायतों की स्थापना की हैं उनमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिनमें हरिजन भी होते हैं। तो क्या कारण है कि सरकारी मान्यता प्राप्त इन पंचायतों के समानांतर सवर्ण हिंदुओं को उनके चावड़ी न्यायालय करने की छूट दी जाए। ग्रामों में निर्धन पिछड़े वर्ग की जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के मार्गों में ये चावड़ी न्यायालय गंभीर बाधाएं हैं। ग्रामों में हरिजनों को उद्धार अथवा मुक्ति तभी हो सकती है, जब इन चावड़ी न्यायालयों पर सरकार रोक लगा दे। जब तक चावड़ी न्यायालयों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया जाता कि वे इस प्रकार हरिजनों के बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकते, तब तक हरिजनों की नागरिक असुविधाओं को दूर करने के हमारे सभी प्रयास मिट्टी में मिलते रहेंगे। इससे पहले कि छुआछूत मिटाने के लिए तीन लाख रूपये खर्च किए जाएं, सरकार को कुछ जरूरी उपाय करने ही होंगे। उसे चावड़ी में हरिजनों पर हो रहे उत्पीड़न को बंद करना होगा। उसे हरिजनों को इस योग्य बनाना होगा कि वे इंसान के रूप में गर्व से अपना सिर उठा सकें। केरल में सार्वजनिक स्थानों से अब छुआछूत का सफाया हो गया है, क्योंकि देश के उस भाग से अब इन चावड़ी न्यायालयों का लोप हो गया है।

एक अपील

महात्मा गांधी ने ही हमें यह बोध कराया कि हम ग्रामों में निर्धन हरिजनों के साथ भारी अन्याय कर रहे हैं। उनके साथ निम्न जातियों तथा दास जैसा व्यवहार कर रहे है। यदि वह न होते तो देश के विभिन्न भागों के हरिजन सवर्ण हिंदुओं के असह्य अत्याचारों से तंग आकर हिंदुओं से अलग हो जाते। आज से 21 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने पूना में ऐतिहासिक अनशन किया था। उद्देश्य था, हरिजनों के समर्थन में जन–जागरण हो। इसमें संदेह नहीं कि पिछले दशकों में भारी जन–जागरण हुआ है और आज हरिजन आंदोलन के प्रति जन–सहानुभूति तथा नागरिक असुविधाओं को दूर करेगी। वह हरिजनों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के सभी शांतिपूर्ण तथा वैध प्रयासों को पूर्ण सहयोग प्रदान भी कर रही है। लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि गांवों में आज भी हरिजनों के प्रति काफी विद्वेष और पूर्वाग्रह है। हम सभी समाज सेवकों से अपील करते है कि वे ग्रामों में सवर्ण हिंदुओं के हृदय में परिवर्तन लाएं, ताकि अब और आगे हरिजनों को एक अलग अस्पृश्य वर्ग के रूप मे न माना जाए। हम सभी नेताओं से अपील करते है कि वे अस्पृश्यता को मिटाने के लिए जी–जान से जुट जाएं और प्रयास करें कि हरिजनों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग माना जाए।

दक्षिणी रेंज, प्रधान कार्यालय, मैलूर

स्वामी आनंद तीर्थ, एम.ए.
प्रादेशिक अधिकारी
अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ

साभार
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–9, (पृष्ठ सं० 174 से 191 तक)
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

द्रविड़ डिफेंस वर्कर्स यूनियन ने ओ.ई.एफ महाप्रबन्धक का अभिवादन किया

महामंत्री नीतू सिंह बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हुये

संजय दीक्षित फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुये

राष्ट्रीय संगठन मंत्री सियाराम फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुये

राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में महाप्रबन्ध बी. उदय कुमार को फूलों का गुलदस्ता भेंट करते हुये।

दिनांक 17 अगस्त 2020 को बी. उदय कुमार महाप्रबन्धक आयुध उपस्कर निर्माणी कानपुर का स्वागत ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) से सम्बन्ध द्रविड़ डिफेंस वर्कर्स यूनियन ने किया।

यूनियन की महामंत्री श्रीमती नीतू सिंह, अध्यक्ष रंजीत के साथ सियाराम राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ (एनपीडीईएफ) के नेतृत्व में महाप्रबन्धक बी. उदय कुमार को फूलों का गुलदस्ता और तथागत बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गयी। इस दौरान मनोज राय गौतम व संजय दीक्षित भी मौजूद रहे।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बौद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की ओर से रामादेवी हाइवे पर लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को बिस्कुट-केले आदि बांटे गए।

सहयोगी संस्थाओं ने अलग–अलग टीम बनाकर जरूरतमदों को भोजन सामग्री प्रदान की। मंगलवार को तीन हजार से अधिक लोगों को भोजन के पैकेट दिये गये। बाबा जी की रसोई गुरूद्वारा नवाबगंज की ओर से एक हजार भोजन पैकेट कई थाना क्षेत्रों में जरूरतमदों को बांटे गये। इसमें सरदार मानसिंह बग्गा, तरूण खमेसरा, राकेश जैन, राजीव बग्गा, कंवर प्रीत सिंह, अश्वनी कुमार ने सहयोग किया।

इंडस्ट्रियल एरिया उद्योग विकास एसोशिएशन पनकी साइड–3 स्थित नन्दी गौशाला से 1500 लोगों को पूड़ी सब्जी, खीर आदि का वितरण कराया गया। इसमें अजय पाण्डेय, देवेन्द्र सिंह, ज्ञानेन्द्र अवस्थी, अवधेश सिंह गौर, रामनाथ पाल, आलोक तिवारी, रमाकांत त्रिवेदी, अजय शर्मा, राजकुमार सिंह ने सहयोग किया।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं बुद्धिस्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से रामादेवी हाइवे पर प्रवासी मजदूरों को बिस्कुट, केला, पेठा व पानी के पैकेट बाँटे गये। इसमें क्षेत्रीय महासचिव हरिनाथ कुमार, संतोष कुमार, जगजीवन राम, ओमप्रकाश कुरील, वेद पाल आजाद, जनक आदि ने सहयोग दिया।

EQUALITY OPPORTUNITY JUSTICE & WELFARE
SELF CONFIDENCE
UNITED RESPONSIBILITY
Estd.14 April, 1974
DIVISIONAL UNIT - KANPUR

एक संस्था एक एसोसिएशन

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जन जाति एवं बौद्धिष्ट भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ क्षेत्रीय व मंडलीय इकाई कानपुर की ओर से द्रविड भारत सामाजिक जागरूकता अभियान से जुड़े सभी सदस्यों एवं पाठकों को

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ.....

सी. एल. कुरील (राष्ट्रीय सचिव विधि), हरि नाथ कुमार (क्षेत्रीय महासचिव), अक्षय लाल, आर. के. आजाद, जगजीवन राम (अध्यक्ष), एस. के. गौतम (उपाध्यक्ष), संतोष कुमार (महासचिव), विनोद कुमार (सचिव प्रशा०), रवि मोहन सोनकर सचिव (संगठन), ललित सोनकर (संगठन), ओ. पी. कुरील सचिव (संगठन), गीता रावत सचिव (विधि), रघुनन्दन प्रसाद सचिव (प्रचार), राकेश कुमार सचिव (प्रचार), रविन्द्र नाथ सचिव (प्रचार), राम अवध (कोषाध्यक्ष), सतीश संखवार, जगदीश प्रसाद, प्रमोद कुमार, रामदास कुरील एवं कल्याण संघ के सभी सदस्य व पदाधिकारियों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें ...

समूचे देश में ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर ने शुरू किया अगस्त क्रांति दिवस – हंसराज अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष

ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के द्वारा एक माह व्यापी विरोध की शुरूआत (दिनांक 09.08.2020 से 08.09.2020 तक) ''अगस्त क्रांति दिवस'' के रूप में मनायेगा। इस आशय की जानकारी सियाराम राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंघ (एनपीडीईएफ) ने प्रेस को दी और कहा – ''माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी टीयूसीसी भारत सरकार की निम्न श्रमिक विरोधी नितियों का विरोध करता है तथा उन्हें तुरन्त वापस लेने की मांग करता है।''

रक्षा मंत्रालय की आयुध निर्माणियों का निगमीकरण, रेलवे व उसकी सम्बन्धित इकाईयों का निजीकरण, पूंजीपतियों के हित में, कोयला खादानों का वाणिज्यीकरण, लाभ कमा रही सार्वजनिक उपक्रमो का विनिवेश व विक्रय, के अलावा हमारी और भी मांगे हैं। प्रवासी मजदूर, बीड़ी मजदूर, असंगठित मजदूर, रेहड़ी वाले तथा स्वनियोजित मजदूरों को आर्थिक मदद। नई पेंशन नीति वापस लेकर पुरानी पेंशन की बहाली। सभी असंगठित मजदूरों को समाजिक सुरक्षा प्रदान हो। राज्य सरकारों द्वारा श्रम कानूनों में ढील देने की वापसी। पर्यावरण आकलन कानून – 2020 तक तत्काल रोक लगाने को लेकर कानपुर महानगर से प्रधानमंत्री जी को सम्बोधित 20000 पोस्टकार्ड डाक के माध्यम से भेजे जायेंगे।

एक माह व्यापी विरोध की शुरूआत को सम्पन्न करने के लिए ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर और सम्बद्ध संगठनों राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रतिरक्षा कर्मचारी महासंग, द्रविड़ डिफेंस वर्कर्स यूनियन, एसएएफ मजदूर संघ, ऑर्डिनेस फैक्ट्री बहुजन मजदूर यूनियन आदि के प्रयासों से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 15.08.2020 को प्रातः 8 बजे से ओ.ई.एफ. गेट स्थित अम्बेडकर प्रतिमा स्थल पर कैंप लगाकर शुरूआत की जायेगी।

ट्रेड यूनियन कोआर्डिनेशन सेंटर (टीयूसीसी) के बैनर तले प्रधानमंत्री को भेजा पोस्टकार्ड

ओ.ई.एफ. गेट स्थित डॉ. अम्बेडकर प्रतिमा स्थल फूलबाग कानपुर में सियाराम राष्ट्रीय संगठन मंत्री एनपीडीईएफ के नेतृत्व में पी.एम. को भेजे जाने वाले पोस्टकार्ड का कैंप लगाया गया जो मजदूर विरोधी नितियों को वापस लिये जाने से सम्बन्धित है। वहाँ पर अरविन्द कुमार, श्रीमती उमेश्वरी देवी, धमेन्द्र कुमार, हरिश्चन्द्र ने भाग लिया।

दूसरा पोस्टकार्ड अभियान का कैंप मक्कापुरवा ख्यौरा कटरी में रंजीत कुमार राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य (एनपीडीईएफ) के नेतृत्व में लगाया। वहाँ पर राजकुमार निषाद, नन्हा प्रसाद निषाद, सुरेश कुमार आदि लोगों ने भाग लिया।

तीसरा कैंप संजय नगर रेलवे कालोनी कैंट कानपुर में राकेश कुमार संगठन मंत्री द्रविड़ डिफेंस वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में संचालित किया गया। वहाँ पर सतीश कुमार, रामचन्दर गुप्ता, कमल, विक्की सोनकर, नीरज मौर्या, शमशाद अली, शेरू, संजय आदि ने भाग लिया। तीनों कैंप से तीन सौ लोगों ने पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजे।

16.08.2020 को अर्मापुर इस्टेट, फील्ड गनफैक्ट्री, आयुध निर्माणी कालपी रोड कानपुर में भी पोस्टकार्ड अभियान श्री बेचई एसएएफ और विवेक चौधरी राज्य कौंसिल सदस्य टीयूसीसी के नेतृत्व में चलाया गया। वहाँ पर कुलदीप निषाद, छोटे, राहुल, रितिक कुमार, साहिल कुमार, प्रताप चन्द भाटिया, अंकित, संजीव आदि ने भाग लिया और 200 सौ पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजे गये।

दिनांक 17.08.2020 को साहनी कालोनी में संजय दीक्षित और रंजीत अध्यक्ष द्रविड़ डिफेंस वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में पोस्टकार्ड अभियान चलाया गया। यहाँ पर 200 सौ लोगों ने पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को भेजे। वहाँ पर कामिनी कश्यप, फहीम, संजू गुप्ता, सोहन लाल, अशोक, पन्ना लाल, शोभा, मन्नू बेगम आदि रेहड़ी मजदूरों ने भाग लिया।

आर्डिनेस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर में मुनीष कुमार, तरूण कुमार, सुनील कुमार आदि ने पोस्टकार्ड अभियान का समर्थन किया।

स्वतन्त्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

श्री नरेन्द्र मोदी जी
मा. प्रधानमंत्री, भारत

समग्र एवं सुनियोजित नगर विकास
का० वि० प्रा०

कानपुर विकास प्राधिकरण

योगी आदित्यनाथ जी
मा. मुख्यमंत्री, उ.प्र.

अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु

शमन योजना 2020

में 21.07.2020 से 20.01.2021 के मध्य
ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर अपने अनाधिकृत अथवा
अतिरिक्त निर्माण को नियमित करा सकते है

शमन योजना 2020 के लाभ

इस योजना के क्रियान्वयन से मामलों के अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण में निहित मुकदमेबाजी के फलस्वरूप जनसामान्य एवं संस्था दोनों के ही बहुमूल्य समय, धन एवं शक्ति का ह्रास तथा जनता को होने वाली मानसिक यंत्रणा से निजात मिलेगी।

शमन अवश्य करायें अन्यथा ...

प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माण के विरूद्ध कठोर कार्यवाही/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

पंजीकरण पुस्तिका एच.डी.एफ.सी. बैंक की समस्त शाखाओं से मूल्य रू. 100/– से प्राप्त करें।

शीघ्र आवेदन पर योजना का लाभ उठायें

समस्त नियम व शर्ते विवरण पुस्तिका एवं प्राधिकरण की वेबसाइट www.kdaindia.co.in पर उपलब्ध है।

डॉ. गुडाकेश शर्मा
अपर सचिव

एस. पी. सिंह
सचिव

डॉ. ब्रह्म देव राम तिवारी
उपाध्यक्ष

Helpline : 0512-2556292, 2557853 • Website : www.kdaindia.co.in

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

आनन्द मोहन

संयुक्त आयुक्त

हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

मधुरिमा मित्रा

ज्वॉइंट कमिश्नर हाईकोर्ट

वाणिज्य कर (राज्यकर विभाग)

लखनऊ

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

इं. के.के.लाल

प्रधानाचार्य/असिस्टेन्ट

अप्रेन्टिस–शिप एडवाइजर राजकीय

आई.टी.आई., फैजाबाद (उ.प्र.)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

रामचरन

पम्प आपरेटर

कानपुर विकास प्राधिकरण

मो० : 9984251800

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

धीरेन्द्र कुमार

लिपिक

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

मो० : 9721358899

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

रामस्वरूप

अध्यक्ष लेबर डिर्पाटमेन्ट मिनिस्टीरियल

एम्पलाइज एसोसिएशन

श्रमायुक्त कार्यालय कानपुर

मो.: 8318468803

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

हीरालाल संखवार

सचिव एस.सी./एस.टी. एसो.

मुख्य डाकघर कानपुर

मो.: 9450156854

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

नीतू जैसवार

भाषा अनुदेशक हिन्दी

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिला

लाल बंगला, कानपुर, मो. : 9838291001

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

अर्चना कैथवार

प्रधान सहायक

श्रमायुक्त कार्यालय, कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

कमलेश कुमार

वरिष्ठ प्रबन्धक

उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम, कानपुर

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

चन्द्र प्रकाश

सहायक अधीक्षक डाकघर, कानपुर नगर

मो० : 9450726358

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

विजय गौतम

लेखाकार

कोषागार कानपुर नगर

मो० : 9696222033

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

भूप सिंह

लिपिक

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

मो० : 9455646040

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

अजय कुमार

लिपिक

कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

मो० : 7905305856

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

के. पी. वर्मा

उपायुक्त

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निर्देशालय, कानपुर

मो० : 9415268129

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

रामनरेश | महेन्द्र कुमार

महासचिव (आई.टी.सेवा) अध्यक्ष

एस.सी./एस.टी. एम्पलाइस वेलफेयर एसोसिएशन, आयकर विभाग, कानपुर

मो.: 7599101755

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

जगदीश प्रसाद

कनिष्ठ सहायक

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निर्देशालय, कानपुर

मो० : 7388352445

सम्पादक की कलम से .....

द्रविड़ भारत और आम औरत महासभा की ओर से सभी सहयोगियों एवं पाठक गणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनायें।

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

इं. डी. एस. गौतम

सहायक अभियंता, उ.म. क्षेत्रीय कार्यालय

भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर

मो.: 9451424735

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाए .....

के. के. वर्मा

वरिष्ठ सहायक

उर्सला अस्पताल, कानपुर

मो० : 9415430319